लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS.

प्रकरण संख्या : 10/ 2023
GCMS NO. : 2023/56

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

श्री रमेश पिता नाथु भील,
ग्राम/ पोस्ट मोटागांव, तहसील गनोडा,
जिला बांसवाडा

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः–

अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 16–08–2023

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) गनोडा से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 25.05.2023 (पोस्टल आर्डर नं 514974) को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी अनुसार प्रस्तुत आवेदन पर तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) गनोडा द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से असन्तुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 20.07.2023 को जारी किया गया एवं अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भी नियत तिथी को अ[illegible]सूचित किया गया।

दिनांक 20.08.2023 को अपीलार्थी अनुप[illegible]। प्रत्यर्थी ने [illegible] 886 दिनांक 16.08.2023 से जवाब प्रस्तुत किया जिसके संलग्न अपीलार्थी को प्रेषित की गई सूचना प[illegible]र अवगत कराया कि वा[illegible]सूचना से अपीलार्थी को पत्रांक 680 दिनांक 30.06.2023 से अवगत कराया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.08 16:44:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) गनोडा की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं उसके संलग्न पत्रादि का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) गनोडा से प्रार्थना पत्र दिनांक 25.05.2023 से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी तहसीदार गनोडा द्वारा वांछित सूचना से अपीलार्थी को पत्रांक 680 दिनांक 30.06.2023 से अवगत कराया गया है। किन्तु अपीलार्थी उक्त सूचना से असन्तुष्ट है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गनोडा को धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना पत्र दिनांक 25.05.2023 का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा गॉव मोटागाव पटवार हल्का मोटागाव तहसील गनोडा के खसरा नंबर 3795, 3796, 3797 श्री सरकार भूमि पर प्रार्थी का कब्जा एवं पूर्व में प्रार्थी द्वारा पेनल्टी राशि लेकर रसीद दी जाने एवं वर्तमान में प्रार्थी की रसीद बंद करने का कारण बताने बाबत् सूचना चाही।

लोक सूचना अधिकारी से कोई नागरिक सूचना मांग सकता है, किन्तु इस बात का कारण संसुचित किये जाने की अपेक्षा नही कर सकता कर सकता कि किसी निश्चित कार्य का क्या औचित्य था या वह क्यो किया गया या क्यो नही किया गया। फिर भी लोक सूचना अधिकारी तहसीदार गनोडा द्वारा वांछित सूचना से अपीलार्थी को पत्रांक 680 दिनांक 30.06.2023 से अवगत कराया है। अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नही रहने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा) I.A.S.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बांसवाडा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.08 16:44:22 IST
Reason: SelfAttested